

फर्द अहकाम
अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
 मोती बनाम मोहिनी देवी
 दीवानी वाद संख्या 15/16
 सीआईएस संख्या 19/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2025	<p>श्री गोविन्द दास पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की ओर से उपस्थित। श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित।</p> <p>बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी सुनी गई। इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में उनके द्वारा असल विक्रय पत्र दिनांकित 10.06.2016 की मूल प्रतियां प्रस्तुत की गई थी एवं वादी द्वारा उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई थी। दौराने साक्ष्य वादी ने इस विक्रय पत्र की मूल प्रतियों पर प्रदर्श 8 व 9 अंकित किया है। जबकि वादी को प्रतिवादीगण के दस्तावेजों पर प्रदर्शित नहीं करने का अधिकार नहीं है। केवल वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों पर ही प्रदर्श अंकित कर सकता है। चूंकि वादी द्वारा उक्त दस्तावेजों को गलत रूप से प्रदर्शित कर दिया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा एवं प्रतिवादीगण इन दस्तावेजों को अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं कर पायेगा। ऐसी स्थिति में न्यायहित में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी द्वारा मूल विक्रय पत्र दिनांकित 10.06.2016 में अंकित प्रदर्श संख्या 08 व 09 को डिलीट किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रा. र्थीगण/प्रतिवादीगण ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए—</p> <p>1 Asha Ram vs Pushkarna Brahmin Bhimji ka mohala & anr. RBJ (31) 2024</p> <p>इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा ली गई यह आपत्ति न्यायालय द्वारा दौराने साक्ष्य निर्णित की जा चुकी है। यह दस्तावेज मूल विक्रय पत्र में स्वयं वादी की प्रार्थना पर प्रतिवादीगण से तलब करवाया गया है। एक बार प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेज को डिलीट नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जावे।</p> <p>हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन</p>	

किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से विक्रय पत्रों दिनांकित 10.06.2016 की मूल प्रतियों पर अंकित प्रदर्श 8 व 9 को डिलीट किए जाने की प्रार्थना की है। हस्तगत पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह विक्रय पत्र स्वयं वादी की प्रार्थना पर प्रतिवादीगण से न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 24.05.2022 द्वारा तलब किए गए थे एवं इन विक्रय पत्रों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष भी वादी द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया है। यहां महत्पूर्ण तथ्य यह भी है कि प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति साक्ष्य के दौरान भी उठाई गई थी, जिस आपत्ति को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 19.04.2025 द्वारा अस्वीकार कर इन विक्रय पत्रों को प्रदर्शित करवाने की अनुमति दी गई थी। बावजूद इसके समान तथ्यों पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस प्रकरण की कार्यवाहियों को विलंबित किया गया है। हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र 1500/- रुपये खर्च पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि वादी को अदा की जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते शेष जिरह/ साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 13.08.2025 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)